ECONOMIC TIMES HINDI, Delhi, 31.8.2018
Page No. 1, Size:(15.00)cms X (10.82)cms.

आधार पर लोगों को टरका रहे थे बैंक, UIDAI ने लिया एक्शन

UIDAI ने 13 बैंकों/आधार ऑथेंटिकेशन एजेंसियों की e-KYC फैसिलिटी रोकी

[प्रतीक भक्त & सुरभि अग्रवाल]

यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कई बैंकों और ऑथेंटिकेशन एजेंसियों से इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर फैसिलिटी वापस ले ली है। UIDAI ने एनरोलमेंट और आधार बायोमेट्रिक डेटाबेस के लिए नागरिकों से जुड़ी जानकारी अपडेट करने के टारगेट पूरा नहीं कर पाने पर यह कदम उठाया है।

अथॉरिटी ने 13 बैंकों और आधार ऑथेंटिकेशन एजेंसियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर वेरिफिकेशन सर्विसेज पिछले हफ्ते सस्पेंड कर दी थीं। मामले की जानकारी रखने वाले तीन लोगों ने बताया कि टारगेट के मुकाबले प्रदर्शन निराशाजनक रहने पर यह एक्शन लिया गया। UIDAI ने हालांकि बाद में आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक और आईडीबीआई बैंक के लिए फैसिलिटी बाद में तब बहाल कर दी, जब उन्होंने अथॉरिटी को भरोसा दिलाया कि वे सुधार के कदम उठाएंगे और लक्ष्य पूरे करेंगे। बैंकों के मामले में इस सस्पेंशन से उनकी ओर से दी जाने वाली उन कई फाइनेंशियल सर्विसेज पर असर पड़ेगा, जो ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी से जुड़ी हों।

बैंकों और ऑथेंटिकेशन एजेंसियों में रोज 3 से 3.5 करोड़ तक आधार एनरोलमेंट और अपडेटिंग सेवाएं दी जाती हैं। UIDAI के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि अथॉरिटी ने पांच बैंकों/एयूए के लिए वेरिफिकेशन फैसिलिटी बहाल कर दी है। अन्य आठ बैंकों/एयूए के लिए रेस्टोरेशन नियमों का पालन करने पर होगा। अधिकारी ने कहा, 'ये 13 बैंक/एयूए बार-बार अनुरोध किए जाने पर भी एनरोलमेंट/अपडेट टारगेट के मामले में बहुत पीछे थे। वे अपने यहां से लोगों को लौटा दे रहे थे, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी। लिहाजा आधार एक्ट और इसके नियमों के तहत UIDAI ने इन बैंकों/एयूए की ई-केवाईसी फैसिलिटी सस्पेंड कर दी थी।' अधिकारी ने उन बैंकों और आधार ऑथेंटिकेशन एजेंसियों के नाम नहीं बताए, जिन पर UIDAI ने एक्शन लिया। पिछले साल UIDAI ने एनरोलमेंट सेंटर बैंकों और सरकारी कार्यालयों के भीतर बनाने का निर्णय किया था। ऐसा प्राइवेट सेंटरों पर फ्रॉड और डेटा हैकिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए किया गया था।